विषय सूची

	संदर्भ	
	कंडिका	पृष्ठ सं.
प्रस्तावना	-	vii
कार्यकारी सारांश	-	ix
अध्याय 1: अवलोकन		
राज्य की रूपरेखा	1.1	1
राज्य वित्त लेखापरीक्षा प्रतिवेदन के आधार और दृष्टिकोण	1.2	3
प्रतिवेदन की संरचना	1.3	4
सरकारी लेखा संरचना और बजटीय प्रक्रियाओ का अवलोकन	1.4	5
राजकोषीय संतुलन: घाटे और कुल ऋण लक्ष्यों की प्राप्ति	1.5	10
लेखापरीक्षा में परीक्षण के बाद घाटा और कुल ऋण/बकाया	1.6	16
अध्याय 2: राज्य का वित्त		
वर्ष 2020-21 के सापेक्ष राजकोषीय समुच्चयों में प्रमुख परिवर्तन	2.1	19
निधियों के स्रोत एवं अनुप्रयोग	2.2	20
राज्य के संसाधन	2.3	20
राज्य की प्राप्तियाँ	2.3.1	21
राज्य की राजस्व प्राप्तियाँ	2.3.2	22
पूँजीगत प्राप्तियाँ	2.3.3	30
संसाधनों के संग्रहण में राज्य का प्रदर्शन	2.3.4	32
संसाधनों के अनुप्रयोग	2.4	32
राजस्व व्यय	2.4.1	34
प्रतिबद्ध व्यय	2.4.2	36
पूँजीगत व्यय	2.4.3	40
पूँजीगत व्यय की गुणवत्ता	2.4.4	42
राज्य सरकार द्वारा ऋण व अग्रिम	2.4.5	43
अधूरी परियोजनाओं में अवरूद्ध पूँजी	2.4.6	44
लोक लेखे में स्थानांतरित किए गए पूँजीगत व्यय	2.4.7	46
सार्वजनिक निजी साझेदारी परियोजनाओं के तहत राज्य की संसाधन उपलब्धता	2.4.8	47
व्यय की प्राथमिकता	2.4.9	47
वस्तु शीर्ष के अनुसार व्यय	2.4.10	48
लोक लेखा	2.5	48
निवल लोक लेखा शेष	2.5.1	49

	संदर्भ	
	कंडिका	पृष्ठ सं.
ब्याज सहित रक्षित निधि	2.5.2	50
ब्याज रहित रक्षित निधि	2.5.3	52
ऋण प्रबंधन	2.5.4	53
ऋण परिपक्वता की रूपरेखा और पुनर्भुगतान	2.6	56
राजकोषीय घाटा और ऋण धारणीयता	2.6.1	58
उधार निधि की उपयोगिता	2.6.2	59
प्रत्याभूतियों की स्थिति (आकस्मिक देयताएं)	2.6.3	59
नकद शेष का प्रबंधन	2.7	60
निष्कर्ष	2.8	62
अनुशंसाएँ	2.9	64
अध्याय 3: बजटीय प्रबंधन		
बजटीय प्रक्रिया	3.1	65
विनियोग लेखे	3.2	68
बजटीय और लेखा प्रक्रिया की पारदर्शिता पर टिप्पणियाँ	3.3	74
व्यय का वेग	3.4	77
अनुदान संख्या 55 - ग्रामीण विकास विभाग (ग्रामीण कार्य मामले) के बजटीय प्रावधान की लेखापरीक्षा	3.5	78
अनुदान संख्या 39 - गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग (आपदा प्रबंधन प्रभाग) के बजटीय प्रावधान की लेखापरीक्षा	3.6	95
निष्कर्ष	3.7	104
अनुशंसाएँ	3.8	104
अध्याय 4: लेखाओं की गुणवत्ता और वित्तीय प्रतिवेदन व्यवहार		
राज्य की संचित निधि या लोक लेखा निधि के बाहरी निधि	4.1	105
गैर-बजट उधार	4.2	106
राज्य कार्यन्वयन एजेंसियों को प्रत्यक्षत: हस्तांतरित धनराशि	4.3	107
स्थानीय निकाय निधि जमा	4.4	108
उपयोगिता प्रमाण-पत्र के प्रस्तुतीकरण में विलम्ब	4.5	109
संक्षिप्त आकस्मिक विपत्र	4.6	111
स्थानीय निधियों की जमा	4.7	117
व्यक्तिगत जमा खाता	4.8	118
लघु शीर्ष 800 का अविवेकपूर्ण उपयोग	4.9	119
जमा, प्रेषण, उचंत तथा ऋण मुख्य शीर्षों के अंतर्गत बकाया शेष	4.10	119
विभागीय आंकड़ों का असमाशोधन	4.11	121
नकद शेष का समाशोधन	4.12	122

	संदर्भ	
	कंडिका	पृष्ठ सं.
लेखा मानकों का अनुपालन	4.13	122
स्वायत्त निकायों के लेखों/पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन का प्रस्तुतीकरण	4.14	123
निकायों और प्राधिकरणों को दिए गए अनुदानों/ऋणों के विवरणों का अप्रस्तुतीकरण	4.15	125
दुरूपयोग, हानि, चोरी इत्यादि	4.16	126
राज्य वित्त लेखापरीक्षा प्रतिवेदन पर अनुवर्ती कार्रवाई	4.17	126
निष्कर्ष	4.18	126
अनुशंसाएँ	4.19	127
अध्याय 5: सामान्य प्रयोजन वित्तीय रिपोर्टिंग		
परिचय	5.1	129
शासनादेश	5.2	129
इस अध्याय में क्या है	5.3	130
एसपीएसई की संख्या	5.4	130
सरकारी कंपनियों एवं सरकार द्वारा नियंत्रित अन्य कंपनी में निवेश	5.5	131
एसपीएसई में इक्विटी होल्डिंग	5.6	132
राज्य सरकार की कंपनियों को दिए गए ऋण	5.7	132
राज्य डिस्कॉम द्वारा बिजली खरीद के बकाया का राज्य के वित्त पर प्रभाव	5.8	132
ऋण देनदारियों को पूरा करने के लिए परिसंपत्तियों की पर्याप्तता	5.9	134
राज्य के सार्वजनिक उपक्रमों को बजटीय सहायता	5.10	135
ऋण सेवा और कानूनी अनुपालन	5.11	135
एसपीएसई को हुआ घाटा	5.12	136
राज्य सरकार की कंपनियों/सांविधिक निगमों द्वारा खातों की देरी से तैयारी	5.13	137
एसपीएसई के निवल मूल्य का क्षरण	5.14	138
निष्कर्ष	5.15	139

परिशिष्ट

परिशिष्ट सं.	विवरण	पृष्ठ सं.
परिशिष्ट 1.1 भाग-क	झारखण्ड का परिचय	141
परिशिष्ट 1.1 भाग-ख	सरकारी लेखे की संरचना एवं रूपरेखा	142
परिशिष्ट 1.1 भाग-ग	वित्त लेखे का अभिन्यास	142
परिशिष्ट 2.1	वर्ष 2021-22 के प्राप्तियों एवं संवितरणों का सार	143
परिशिष्ट 2.2	राज्य सरकार के वित्त पर कालबद्ध आंकड़े	146
परिशिष्ट 2.3	31 मार्च 2022 को झारखण्ड सरकार की संक्षिप्त वित्तीय स्थिति	149
परिशिष्ट 3.1	मामले जहाँ अनुपूरक प्रावधान (प्रत्येक मामले में ₹ 0.50 करोड़ या अधिक) अनावश्यक सिद्ध हुए	150
परिशिष्ट 3.2	अनावश्यक अथवा अत्यधिक पुनर्विनियोग	152
परिशिष्ट 3.3	वर्ष के दौरान बड़े बचत (बचत ₹ 100 करोड़ से अधिक)	153
परिशिष्ट 3.4	वर्ष के दौरान बड़े बचत (बचत ₹ 500 करोड़ से अधिक)	155
परिशिष्ट 3.5	मार्च महीने के अंत में ₹ 10 करोड़ व अधिक की प्रत्यर्पित राशि	156
परिशिष्ट 3.6	पूर्व के वर्षों के प्रावधानों से अधिक व्यय का विनियमन अपेक्षित	158
परिशिष्ट 3.7	योजनाओं का विवरण (₹ एक करोड़ व अधिक) जिनके लिए प्रावधान किया गया था लेकिन कोई व्यय नहीं किया गया	159
परिशिष्ट 3.8	व्यय का वेग	167
परिशिष्ट 3.9	सम्पूर्ण बजट प्रावधान की अनुपयोगिता एवं अभ्यर्पण	168
परिशिष्ट 3.10	वित्तीय वर्ष के अंत में राशि का अभ्यर्पण	169
परिशिष्ट 3.11	व्यय का वेग (ग्रामीण विकास विभाग)	170
परिशिष्ट 3.12	वित्तीय वर्ष के अंतिम दिन अभ्यर्पण	171
परिशिष्ट 3.13	रोकड़ पंजी तथा बैंक खाता के बीच आकड़ों की भिन्नता का विवरण	171
परिशिष्ट 4.1	बकाया डी. सी. विपत्र	172
परिशिष्ट 4.2	नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियाँ और सेवा की शर्तें) अधिनियम की धारा 14 एवं 15 के अधीन चिन्हित लेखापरीक्षा योग्य इकाइयों की सूची	173

परिशिष्ट सं.	विवरण	पृष्ठ सं.
परिशिष्ट 5.1	2021-22 के दौरान सी.ए.जी. लेखापरीक्षा के दायरे में आने वाली सरकारी कंपनियों/सरकारी नियंत्रित अन्य कंपनियों की सूची	175
परिशिष्ट 5.2	क्रियाशील सा.क्षे.उ. के तीन वर्षों से अधिक के बकाया लेखे/ पहले लेखाओं की अप्राप्ति/अदेय का विवरण	176
प्रतिवेदन में प्रयुक्त शब्दावलियों की सूची, गणनाओं का आधार और परिवर्णी शब्द		177